

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ-5(प)(46)एसीटीएडी/माडा/275(1)बा.छात्रा.बहु.छा.AC-iv/ जोधपुर/2020/

दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन
मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
जोधपुर।

विषय- जोधपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 50) जनजाति कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास (क्षमता 50) एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) कार्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्व आदिवासी दिवस दिनांक 09.08.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जैसलमेर प्रवास के दौरान की गई घोषणा के क्रम में जोधपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 50) जनजाति कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास (क्षमता 50) एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) कार्यालय के निर्माण की राजस्थान आवासन मण्डल की कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर के सेक्टर-5 में विभाग को आवंटित कुल 5777.70 वर्ग मीटर भूमि पर कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त तकमीना अनुसार एवं शासन से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त विभागीय पत्रांक- 10493-504 दिनांक 19.03.2021 के क्रम में निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति राशि रुपये 1290.00 लाख की जारी की जाती है-
राशि लाखों में

क्र. सं.	विवरण	तकमीने अनुसार लागत	प्रथम चरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लागत	विशेष विवरण
1	एकेडमिक ब्लॉक- अतिरिक्त आयुक्त चतुर्थ कार्यालय, निजी सहायक कक्ष, वेटिंग एरिया, स्टाफ रूम, मिटिंग रूम एवं अन्य सुविधाएँ	339.58	339.58	
2	छात्रावास क्षमता - 100 डबल बेडेड डोरमेट्री, वार्डन क्वार्टर, वार्डन आफिस, आगन्तुक कक्ष, कॉमन रूम, रिसेप्शन, स्टॉर रूम, मेडिकल रूम, सीक रूम, डायनिंग हॉल, किचन, कक्षा-कक्ष, लाईब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम आदि	766.81	766.81	
3	बाउण्ड्रीवॉल - लम्बाई 500 मीटर एवं ऊंचाई - 2.15 मीटर	40.00	15.00	शेष राशि वास्तविक आवश्यकता अनुसार द्वितीय चरण में प्रस्तावित
4	ऐप्रोच रोड एवं इन्टरनल रोड	40.36	10.00	
5	बास्केटबॉल ग्राउण्ड	10.80	0.00	
6	रेन वाटर स्ट्रक्चर - संख्या 2	20.00	0.00	
7	वाटर स्टोरेज टैंक- क्षमता 1.00 लाख लीटर	10.00	10.00	
8	सोलर सिस्टम	25.00	0.00	शेष राशि वास्तविक आवश्यकता अनुसार द्वितीय चरण में प्रस्तावित
9	फर्नीचर	25.00	25.00	
10	लेण्ड स्केपिंग	10.00	0.00	शेष राशि वास्तविक आवश्यकता अनुसार द्वितीय चरण में प्रस्तावित

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

	योग	1287.55	1166.39	
	कन्टीनजेन्सी एवं एनआईटी चार्ज 2.5 प्रतिशत	32.19	17.50	कन्टीनजेन्सी 1.5 प्रतिशत देय जिसमें एनआईटी चार्ज शामिल
	योग	1319.74	1183.89	
	एजेन्सी चार्ज 9 प्रतिशत	118.77	106.55	
	महायोग	1438.51	1290.44	
	say		1290.00	

कृपया कार्यकारी एजेन्सी से निम्नांकित शर्तों के अधीन Drawing, site Plan, विस्तृत तकमिना, Elevation, T.S मय तकनिकी नोट कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त कर भिजवावें-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही गुणवत्तापूर्ण किया जावे। स्वीकृत कार्यों का आपके विभाग में प्रचलित गाईड लाईन अनुसार **third party inspection** समय-समय पर करवाया जायेगा। **Inspection** के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
3. कार्य की **geo-tagging** कर **soft copy** में **comm.tad@gmail.com** पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
4. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए संबंधित एजेन्सी उत्तरदायी रहेगी।
5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।

भवदीया,

11
(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त

क्रमांक-एफ-5(प)(46)एसीटीएडी/माडा/275(1)बा.छात्रा.बहु.छा.ए.ए.सी-iv/ जोधपुर/2020/
प्रतिलिपी-

दिनांक-

17/9/20-68/13-2-21

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर।
5. प्रशासक/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर।
7. निदेशक, मोनितरिंग, कार्यालय हाजा।
8. माडा मॉनितरिंग, कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
10. अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।


आयुक्त